कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 649 /अधि०/स०सु०/2020, दिनांकः 17 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा(2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जहां उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा(2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377, दिनांकः 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा 112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धार्थनगर जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है –

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां सं कहां तक) जहां गति निर्बन्धित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निर्बन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा कि0मी0/घण्टा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ, 4,5 एवं 6 का छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	नौगढ़-बस्ती एनएच-233/28	जोगिया थाना से बांसी	30	50	50	40
2.	नौगढ़-बस्ती एनएच-233/28	सनई तिराहा से शोहरतगढ़	40	50	60	50

Scanned with CamScanner

3.	नौगढ़–कप्तानगंज–गोरखपुर मार्ग एनएच–730	उसका से थानी	40	60	60	50
4.	नौगढ़–बर्डपुर मार्ग एनएच–233	पुलिस फायर स्टेशन से बर्डपुर मोहाना मार्ग	40	60	50	50
5.	–	बर्डपुर से लोटन	40	60	50	50
6.	नौगढ़–बस्ती एनएच–233/28	बांसी से तिलौली	40	60	60	50
7.	नौगढ़–बस्ती एनएच–233/28	तिलौली से बांसी	40	60	60	50
8.	नौगढ़–बस्ती एनएच–233/28	रानीगंज से इटवा	40	60	60	50
9.	नौगढ़ स्टेशन से पिठनी सोहांस मार्ग ग्रामीण मार्ग	पिठनी चौराहा से सोहांस लोटन	30	50	50	40
10.	पुरानी नौगढ़–महापाली मार्ग ग्रामीण रोड	पुरानी नौगढ़ हनुमान गढ़ी मंदिर से ब्लाक बर्डपुर	20	40	40	30

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

I. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई०सी०आर० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

II. उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

a. अग्नि शमन वाहन

b. एम्बूलेंस।

c. पुलिस वाहन।

d. कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य वल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

e. प्राकृतिक आपदा के प्रवंधन के लिए प्रयुक्त वाहन।

Scanned with CamScanner

III. उपरोक्त तालिका के कालम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्र (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988(1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांकः 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(ए०के०शुक्ला)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्टीकृर्ता प्राधिकारी, जनपद–सिद्धार्थनगर।

पृ०सं० /स०सु०/2020, समदिनांकित–

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त (स०सु०), लखनऊ।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती।
8. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ उ०प्र०।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्टीकृर्ता प्राधिकारी, जनपद–सिद्धार्थनगर।

Scanned with CamScanner